23- भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाऐं करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

24- भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्री–सीमेन्ट, स्टील स्टोनग्रिट, ईंट, कोर्स सैन्ड एवं मसाला तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लाई जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्त का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम की उपलब्धता कार्य स्थल पर ही सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देखा जा सके।

25- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट सन्तोाजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता-पमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेगें और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

26- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट × 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामी के नाम, आर्कीटैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित हो कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेगें :–

1– प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

2– अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।

3– अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चरल की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।

4– अधिकृत आर्कीटैक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त समस्त वर्किंग ड्राईंग जिनमें सेक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज इत्यादि शामिल रहेंगे।

5– भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी0 एण्ड पी0 का विवरण।

6– साईट इंजीनियर इंसपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।

7– सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बंधित रजिस्टर।

27- भवन में ब्राडबैंड इन्टरनेट कनैक्शन हेतु आन्तरिक वायरिंग का प्राविधान करना आवश्यक है।

28- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के द्वारा जारी शासनादेश सं0– 675/आठ–1–10–115डी0ए0/2टी0सी0–1, दिनांक 13–4–2010 के द्वारा लागू अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 में निर्देशित सभी नियमों उपनियमों का पालन अनिवार्य रूप से करने के साथ–साथ उ0प्र0 अपार्टमेन्ट (निर्माण स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम–2010 की धारा–13 में निहित प्राविधान के अनुसार आवेदक/निर्माणकर्ता/प्रमोटर या अपार्टमेन्ट स्वामी द्वारा किसी अपार्टमेन्ट के कब्जे को समुचित अन्तरण विलेख निष्पादित किये बिना और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1908 के उपबन्धों के अधीन उसे पंजीकृत कराये बिना अन्तरित या सुपुर्द नही किया जायेगा और आवेदक/निर्माणकर्ता/प्रमोटर या अपार्टमेन्ट स्वामी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अधिनियम की धारा–12 के अधीन की गयी घोषणा की सत्या प्रतिलिपि ऐसे अन्तरण विलेख के साथ संलग्न करेगा। यदि आवेदक/निर्माणकर्ता/प्रमोटर या अपार्टमेन्ट स्वामी द्वारा अपार्टमेन्ट का कब्जा आवंटी को समुचित विलेख का पंजीकरण कराये बिना अन्तरित कर दिया जाता है, तो ऐसा कृत इस अधिनियम की धारा–13 का स्पष्ट उल्लघंन होगा जिसके लिए इस अधिनियम एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निबन्ध/स्टाम्प विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व आवेदक/निर्माणकर्ता/प्रमोटर या अपार्टमेन्ट स्वामी का होगा।

29- शासनादेश सं0–2686/आठ–1–11–19 विविध/10 दिनांक 29–08–11 के बिन्दु 7 के क्रम में आवेदकगण द्वारा श्रम विभाग से पंजीकरण कराकर प्राप्त किए गये पंजीकरण प्रमाण पत्र के कम में आवेदकगण को निर्माण/विकास लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में जमा करवाना होगा। तथा सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

30- जलमल निस्तारण के सम्बन्ध में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति के निर्देशों/शर्तो के अन्तर्गत सीवर के पानी का शोधन एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकृत कर निस्तारित कराने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

31- स्थल के सीमांकन सहित भू–स्वामित्व सम्बन्धी प्रत्येक प्रकार का उत्तर दायित्व पक्ष का होगा।

32- भू–स्वामित्व निर्धारण का अधिकार प्राधिकरण का नही है अर्थात प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने का अभिप्राय भू–स्वामित्व का निर्धारण करना है। अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत मानचित्र के अन्तर्गत दर्शित सम्पूर्ण भूमि अथवा उसके आंशिक भाग पर भू–स्वामित्व सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा तथा इसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

33- यदि आवेदक/भवन स्वामी द्वारा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

34- उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के नियमों एवं खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्राविधानों के अनुसार बेसमेन्ट निर्माण हेतु खनन कार्य जिलाधिकारी, बरेली से खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

35- बरेली विकास प्राधिकरण, बोर्ड की 57वीं बोर्ड बैठक दिनॉक–30–7–2007 के प्रस्ताव सं0–3 पर लिए गये निर्णय के अनुपालन में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत किए जाते समय लिए जाने वाले विकास शुल्कों के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय आदेश सं0–16254/का0ब0वि0प्रा0/12, दिनॉक–27–3–2012 के क्रम में कार्यालय आदेश सं0–369/का0ब0वि0प्रा0/2014, दिनॉक–25–4–2014 के